संख्या- 1/4193/अडतीस-7-2013-156नरेगा/2012

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 06 जनवरी, 2014**

विषय- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जीवन शक्ति परियोजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 2587/38-7-2008-351एनआरईजीए/2008 दिनांक: 31-10-2008 एवं शासनादेश संख्या-1171/अडतीस-7-2013-156नरेगा/2012टीसी दिनांक: 22-04-2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह क्हने का निदेश हुआ है कि बायो इनर्जी मिशन सेल नियोजन विभाग द्वारा आपको उपलब्ध करायी गयी जीवन शक्ति परियोजना स्थायी स्वरोजगार का आधार विषयक पुस्तक में मनरेगा मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराये गये लागत विवरण एवं उससे होने वाली आर्थिक आय के विवरण के अनुसार नियमानुसार योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- 4193 (1)/अड्तीस-7-2014 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को संलग्नक इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को नियोजन विभाग के विवरण हार्ड कापी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. बायो इनर्जी मिशन सेल नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-206 /बा0इ 0मि0से0/2013 दिनांक: 26-09-2013 के क्रम में।
4. गार्ड बुक।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in